कार्यालय कलेक्टर, जिला नारायणपुर (छ.ग.)

दूरभाष कार्यालय 07781-252216

// प्रेस विज्ञप्ति //

विज्ञापन क्र./95/Niti Aayog/भर्ती/ 2023 नारायणपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2023

---00---

मिशन संचालक, नीति आयोग के परिपत्र दिनांक 25-08-2023 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिला नारायणपुर के विकास खण्ड ओरछा में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेश और बुनियादी कार्यों को बढ़ावा देने के लिये आकांक्षी ब्लॉक फेलो के 01 पद पर चयन किया जाना है। इच्छुक उम्मीदवार दिनांक 29-09-2023 समय 05:30 बजे तक निर्धारित प्रारुप में पंजीकृत डाक/स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते है।

स क्र	पद का नाम	पद का स्वरूप	वेतनमान	वर्ग	आयु	शैक्षणिक योग्यता
1.	आकांक्षी ब्लॉक फेलो (कुल पद 01)	अस्थाई	55000/- (प्रतिमाह स्टायपंड)	अनारक्षित (मुक्त-1)	न्यूनतम 21 वर्ष	मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से स्नातकोत्तर

अन्य वांछित योग्यता :-

1. आवेदक को हिन्दी, अंग्रेजी बोलना एवं लिखना आना चाहिए।
2. आवेदक को डाटा विश्लेषण एवं प्रस्तुती कौशल (Presentation skills) का ज्ञान होना चाहिए।
3. सोशल मिडिया के उपयोग से परिचित होना चाहिए।
4. परियोजना प्रबंधन कौशल होना चाहिए।
5. विकास संबंधित संगठन के साथ काम करना एवं इंटर्नशिप का अनुभव होना चाहिए।

निम्न श्रेणी के अभ्यार्थियों को चयन में कमानुसार प्राथमिकता दी जावेगी :-

1. NIRF रैकिंग में शीर्ष 20 विश्वविद्यालयों से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण।
2. ग्रामीण विकास में MBA उत्तीर्ण।
3. MBA उत्तीर्ण।
4. MSW उत्तीर्ण।
5. किसी भी विषय में स्नातकोत्तर।

चयन की प्रक्रिया :-

उपरोक्त श्रेणी अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता (स्नातकोत्तर) के अंक के आधार पर रिक्त पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों को सात्क्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा। अंतिम चयन केवल सात्क्षात्कार में प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा।

आवश्यक दस्तावेजः– अभ्यर्थी को आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता प्रमाण पत्र, अंकसूची, आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरण अनुसार आयु सत्यापन हेतु हाईस्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य है। समस्त दस्तावेज की स्व–प्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ एवं मूल दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

आयु सीमाः– दिनांक 01.04.2023 की स्थिति में उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिये।

नियम एवं शर्ते :–

1. आवेदनकर्ता को अपने कार्यस्थल में रहकर कार्य संपादन करना अनिवार्य होगा।
2. यह चयन आदेश दिनांक से 12 माह के लिए वैध होगा।
3. सेवा अवधि में स्टायपेड के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता देय नही होगा।
4. यह चयन पूर्णतः अस्थाई होगा एवं कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर किसी भी समय सेवा समाप्ति की जा सकेगी।
5. सेवा समाप्ति उपरांत किसी भी प्रकार की देयताओं का लाभ नही दिया जावेगा।
6. किसी विवाहित महिला उम्मीदवार द्वारा अपने नाम/उपनाम में परिवर्तन किया गया हो, तो परिवर्तन संबंधी दस्तावेज/शपथ पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। मूल दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना होगा।
7. अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करें, अन्यथा आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा।
8. अपूर्ण अस्पष्ट तथा त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र के संबंध में पृथक से कोई सूचना जारी नहीं की जावेगी एवं ऐसे समस्त आवेदन अमान्य कर दिये जावेंगे।
9. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, आवेदक का नाम एवं आवेदक का वर्ग एवं पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए।
10. यह विज्ञप्ति बिना कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।
11. आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लेवें विज्ञापन में दिये गये निर्देशों/नियमों, शर्तो को पूरा करने पर ही निर्धारित प्रारूप में आवेदन करें। आवेदक सावधानी पूर्वक जानकारी आवेदन में अंकित करें, आवेदन त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण होने पर आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। इसके लिये नियोक्ता जिम्मेदार नहीं होगा।
12. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरीयता प्रदान की जावेगी।
13. प्राप्त आवेदनों में से साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की सूची जिले के वेबसाईट www.narayanpur.gov.in में तथा कार्यालय कलेक्टर के सूचना पटल पर दिनांक 01.10.2023 को अपलोड किया जायेगा। किसी भी आवेदक को अन्य किसी भी रूप से साक्षात्कार हेतु सूचना/प्रवेश पत्र/बुलावा पत्र पृथक से नहीं भेजा जावेगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा।
14. **साक्षात्कार की तिथि –03.10.2023 प्रातः 10 बजे।**
15. **साक्षात्कार का स्थान :– कार्यालय कलेक्टर नीति आयोग शाखा नारायणपुर।**
16. साक्षात्कार के लिये अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर आना होगा। इसके लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
17. चयनित अभ्यर्थियों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सा प्रमाण पत्र नियुक्ति के एक माह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
18. **प्रतीक्षा सूचीः–** प्रतीक्षा सूची घोषित परिणाम दिनांक से 01 वर्ष के लिये वैध होगी।
19. अभ्यर्थी के चयन उपरांत यदि उनके द्वारा प्रस्तुत कोई जानकारी असत्य/मिथ्या पायी जाती है, तो चयन समाप्त कर दिया जायेगा तथा संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

20. चयन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार की विवाद पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

आंकाक्षी ब्लॉक फेलो की भूमिका :–

1. विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर आंकाक्षी विकासखण्ड कार्यकम के मापदण्डों अनुसार विकास की रणनीति बनाना।
2. नियमित फील्ड भ्रमण करना।
3. स्थानीय समुदाय हेतु कार्यशाला आयोजन, जागरूकता कार्यकम, कौशल निर्माण कार्यकम का आयोजन करना।
4. राज्य कार्यालय तथा नीति आयोग के साथ सतत् संपर्क स्थापित करना।

Dewesh

प्रभारी अधिकारी
नीति आयोग शाखा
जिला नारायणपुर

पृ० क्र./ 96 /Niti Aayog/भर्ती/ 2023 नारायणपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2023

प्रतिलिपि :–

1. मिशन संचालक, आंकाक्षी जिला कार्यकम को सादर सूचनार्थ।
2. संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नारायणपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
5. सर्व कार्यालय प्रमुख को सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
6. प्रभारी अधिकारी, नजारत शाखा, जिला कार्यालय नारायणपुर को सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
7. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, नारायणपुर की ओर सूचनार्थ । कृपया जिले के वेबसाईट में विज्ञापन अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
8. सर्व कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) नारायणपुर, जिला नारायणपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
9. सर्व कार्यालय तहसीलदार नारायणपुर/ओरछा/छोटेडोंगर/कोहकामेटा, जिला नारायणपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
10. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, नारायणपुर की ओर समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु सूचनार्थ।
11. जिला रोजगार कार्यालय, जिला नारायणपुर को सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
12. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद नारायणपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु अग्रेषित।।
13. सर्व कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नारायणपुर/ओरछा, जिला नारायणपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
14. जिला सैनिक कल्याण बोर्ड जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
15. कार्यालय प्रति।

Dewesh

प्रभारी अधिकारी
नीति आयोग शाखा
जिला नारायणपुर

आवेदन पत्र का प्रारुप

आवेदित पद का नामः– आकांक्षी विकासखण्ड फैलो ओरछा

नवीनतम पासपोर्ट फोटो स्वंय द्वारा प्रमाणित

प्रति,

कलेक्टर
जिला नारायणपुर (छ.ग.)

1. आवेदक का पुरा नाम (हिन्दी में) :–..
   (अंग्रेजी में) :–..
2. पिता/पति का नाम :–..
3. जन्मतिथि. (अ)अंको में :–..
   (ब)शब्दों में :–..
4. लिंग :–..
5. जाति :–..
6. आयु 01/04/2023 की स्थिति में :–वर्ष...............माह...................दिन......................
7. जन्म स्थान ग्राम/नगर..........................तहसील....................
   जिला..
7. (अ)पत्र व्यवहार का पूर्ण पता :–..
   ....
   पिन कोड.......................मो0नं0..............................
   (ब)स्थायी पता :–..
   ....
   पिन कोड.......................मो0नं0..............................
10. क्या आवेदक विवाहित है ? हा/नही :–..
11. यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि :– ....
12. आवेदक/ आवेदिका के विरुद्ध कोई दाण्डिक प्रकरण विचारण हेतु लंबित है अथवा नहीं जानकारी स्पष्ट रुप से उल्लेख करें। :–..

शैक्षणिक योग्यता :–

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						

12.संलग्न प्रमाण पत्रो की सूचीः–

1.:–..

2.:–..

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नामः–..

<u>घोषणा पत्र</u>

मैं एतद् द्वारा घोषण करता हूँ कि इस प्रपत्र मे दिये गये समस्त विवरण एवं संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि असत्य पायी जाती है तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी और मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक ....

स्थान...

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नामः–..